बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

संकल्प

श्री वीरेन्द्र कुमार महतो, तत्कालीन श्रम अधीक्षक–सह–निरीक्षी पदाधिकारी, उप श्रमायुक्त कार्यालय, पटना, सम्प्रति श्रम अधीक्षक, लखीसराय निगरानी थाना काण्ड संख्या– 08/2005 के प्राथमिकी अभियुक्त हैं । श्रमायुक्त, बिहार से प्राप्त प्रपत्र "क" में गठित निम्न आरोपों के लिए संकल्प संख्या– 453 दिनांक– 9.2.2007 संशोधित संकल्प संख्या– 2242 दिनांक– 28.6.2007, संशोधित संकल्प संख्या– 3153 दिनांक– 13.10.2008 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी । उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी श्री उपेन्द्र कुमार राय, तत्कालीन श्रमायुक्त, बिहार के सेवा निवृत हो जाने के फलस्वरूप संशोधित विभागीय संकल्प संख्या– 2000 दिनांक– 23.6.2010 द्वारा श्री गरीब साहू, तत्कालीन अपर सचिव, श्रम संसाधन विभाग को इस विभागीय कार्यवाही का संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

2. आरोप पत्र (प्रपत्र "क") में श्री महतो पर आरोप है कि श्री संजय कुमार वल्द श्री रामानन्द सिंह द्वारा बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के अन्तर्गत "बाबा सत्य साई इन्टर प्राइजेज" पटना का निबंधन कराने हेतु दिनांक– 24.4.2004 को आवेदन दिया गया था, किन्तु साजिश के तहत श्री वीरेन्द्र कुमार महतो, श्रम अधीक्षक–सह–निरीक्षी पदाधिकारी, पटना ने पिछली तिथि दिनांक– 13.4.2004 को उसे प्राप्ति दिखाया । दूसरे, उन्होंने उक्त प्रतिष्ठान का निरीक्षण किए बिना प्रतिष्ठान को कार्यरत बताया और बदनीयती से दिनांक– 26.4.2004 को उक्त फर्जी प्रतिष्ठान का निबंधन कर दिया एवं अपने भ्रष्ट आचरण के जरिए अपने पद का दुरूपयोग किया । ज्ञातव्य है कि उक्त प्रतिष्ठान (बाबा सत्य साई इन्टर प्राइजेज, पटना) की मिली भगत से 2004 में बाढ़ राहत सामग्रियों के क्रय एवं वितरण के मामले में पटना समाहरणालय द्वारा अनियमितताएँ बरती गयी थी जिसके बाबत निगरानी थाना काण्ड सं0– 08/2005 दिनांक– 28.5.2005 दर्ज किया गया था ।

3. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी श्री गरीब साहू से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में उनके विरूद्ध लगाया गया आरोप प्रमाणित पाया गया, जिसके समीक्षोपरान्त श्री महतो से द्वितीय कारण–पृच्छा पूछी गयी । श्री महतो से द्वितीय कारण– पृच्छा का जबाब संतोषजनक एवं विश्वसनीय नहीं पाया गया । अतः उन्हें सेवा से बर्खास्त करने का माननीय मुख्य मंत्री, बिहार ने औपबंधिक निर्णय लिया । तत्पश्चात् प्रस्तावित दण्ड पर बिहार लोक सेवा आयोग का अभिमत प्राप्त करने हेतु पत्र लिखा गया ।

4. बिहार लोक सेवा आयोग का अभिमत पत्रांक– 1424 दिनांक– 27.9.2013 द्वारा प्राप्त हुआ, जिसमें आयोग ने सिर्फ संक्षेप में सूचित किया है कि "उपर्युक्त आरोपों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित दण्ड आनुपातिक नहीं है । अतः आयोग विभागीय दण्ड प्रस्ताव से असहमति व्यक्त करता है ।" किन्तु आयोग ने सरकार के निर्णय से अपनी असहमति का यथेष्ठ कारण नहीं बताया ।

कृ0पृ0उ0

5. इस संबंध में श्री वीरेन्द्र कुमार महतो द्वारा माननीय मंत्री, अनुसूचित जाति जन जाति कल्याण विभाग, बिहार को अपनी सेवा बर्खास्तगी को रोकने हेतु सीधे एक पत्र लिखा गया, जो सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल है और उसे अहमियत नहीं दी जा सकती है ।

6. अतएव मामले की पूर्ण समीक्षोपरान्त बिहार लोक सेवा आयोग के अभिमत से असहमत होते हुए श्री महतो के विरूद्ध गम्भीर आरोपों के सिद्ध होने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के भाग– V की कंडिका–14 (xi) के अन्तर्गत उन्हें सेवा से बर्खास्त (dismiss) करने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

7. प्रस्ताव में माननीय मुख्य मंत्री, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है ।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति श्री वीरेन्द्र कुमार महतो, तत्कालीन श्रम अधीक्षक–सह–निरीक्षी पदाधिकारी, उप श्रमायुक्त कार्यालय, पटना सम्प्रति श्रम अधीक्षक, लखीसराय को निबंधित डाक से उपलब्ध करायें ।

विवरणी :–

1. नामः– श्री वीरेन्द्र कुमार महतो
2. पिता का नाम– स्व० बाबूजी महतो
3. जन्म तिथि– 20.1.1965
4. बर्खास्तगी की तिथि– 15.10.2013
5. सेवा का नाम– बिहार श्रम सेवा (सामान्य)
6. स्थायी पता– ग्राम+पो०– खिरहर बाजार,
   थाना– खिरहर, भाया बेनीपट्टी, जिला– मधुबनी ।
7. वर्त्तमान पता– श्रम अधीक्षक, लखीसराय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

15.10.13

(देव नन्दन यादव)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 6/श्रम वि० आ०– 5013/5श्र०सं०– 3892 पटना, दिनांक– 15.10.13

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना कों दो हार्ड कॉपी एवं एक सी०डी० के साथ बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की 15 (पन्द्रह) अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायें ।

15.10.13

(देव नन्दन यादव

सरकार के संयुक्त सचिव

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक– 6/श्रम वि0 आ0– 5013/2005 श्र0सं0– 3892 पटना, दिनांक– 15.10.13

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0 दा0 नि0 कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/- 15.10.13

(देव नन्दन यादव)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 6/श्रम वि0 आ0– 5013/2005 श्र0सं0– 3892 पटना, दिनांक– 15.10.13

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, समाहरणालय कोषागार, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/- 15.10.13

(देव नन्दन यादव)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 6/श्रम वि0 आ0– 5013/2005 श्र0सं0– 3892 पटना, दिनांक– 15.10.13

प्रतिलिपि– अपर महानिदेशक, निगरानी (अन्वेषण) ब्यूरो, बिहार, पटना/ सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/- 15.10.13

(देव नन्दन यादव)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 6/श्रम वि0 आ0– 5013/2005 श्र0सं0– 3892 पटना, दिनांक– 15.10.13

निबंधित

प्रतिलिपि– श्री वीरेन्द्र कुमार महतो, तत्कालीन श्रम अधीक्षक–सह–निरीक्षी पदाधिकारी, उप श्रमायुक्त कार्यालय, पटना सम्प्रति श्रम अधीक्षक, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/- 15.10.13

(देव नन्दन यादव)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 6/श्रम वि0 आ0– 5013/2005 श्र0सं0– 3892 पटना, दिनांक– 15.10.13

प्रतिलिपि– सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/पुलिस महानिदेशक/सभी पुलिस महानिरीक्षक/ सभी पुलिस उप महानिरीक्षक/ सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/- 15.10.13

(देव नन्दन यादव)
सरकार के संयुक्त सचिव
कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक– 6/श्रम वि० आ०– 5013/2005 श्र०सं०– 3892 पटना, दिनांक– 15.10.13

प्रतिलिपि– श्रमायुक्त, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव के आप्त सचिव/ विशेष सचिव (श्री कुमार/ श्री राम)/ प्रभारी पदाधिकारी, गोपनीय चारित्री/ संयुक्त सचिव/ उप सचिव/ अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा– 1/ लोक सूचना पदाधिकारी/आई० टी० मैनेजर/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग/ प्रशाखा पदाधिकारी– 6 को संकल्प की पॉच अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/- 15.10.13

(देव नन्दन यादव)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 6/श्रम वि० आ०– 5013/2005 श्र०सं०– 3892 पटना, दिनांक– 15.10.13

प्रतिलिपि– माननीय मुख्य (श्रम संसाधन विभाग) मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/- 15.10.13

(देव नन्दन यादव)
सरकार के संयुक्त सचिव